



राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (2) वन / 2021

जयपुर, दिनांक:—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:— Diversion of 0.5004 ha. forest land in favour of Public Work Department for Construction of CC. road from Triveni road to Brahmani Mata Temple.
(Proposal No. - FP/RJ/ROAD/35959/2018)

संदर्भ:— आपका पत्रांक एफ 14 ()2018/जयपुर रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/6677 दिनांक 07.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, शाहपुरा द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा—2 में ग्राम पंचायत देवीपुरा में नवीन सड़क योजनान्तर्गत त्रिवेणी सड़क से ब्रह्माणी माता मन्दिर सी.सी. सड़क निर्माण कार्या हेतु 0.5004 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंबंधित पत्र दिनांक 27.01.2021 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक 14()2018/जयपुर रोड्स/एफसीए/प्रमुवस/6677 दिनांक 07.07.2023 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा—2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.5004 ha. forest land in favour of Public Work Department for Construction of CC. road from Triveni road to Brahmani Mata Temple (Proposal No. - FP/RJ/ROAD/35959/2018) की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समर्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निवारणी कार्यों का सुविधा हो।
7. मन्दिर परिसर एवं क्षेत्र में प्लास्टिक, कैरी बैग का उपयोग नहीं किया जावेगा।
8. पेड़—पोधों की छंगाई नहीं की जावेगी।

Principal/ Approval diversion/secy.forest/floder ajay goyar

RajKaj Ref No. : 4795489

Signature valid

Digital signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.09.26 19:14:38 IST
Reason: Approved





9. लाउड स्पीकर/डी.जे. का उपयोग नहीं किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा—निर्देश की पालना करेगा।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
13. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 27.01.2021 में वर्णित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
15. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अपर वन महानिदेशक—वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली—110003
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या सी—405 एवं सी—406, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड शाहपुर, जयपुर—302006

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.09.26 19:14:38 IST
Reason: Approved

Principal/ Approval diversion/secy.forest/floder ajay goyar

RajKaj Ref No. : 4795489

